सरकूलर नं0: अपमा / 2014–2016 / 274 दिनांक : 11–3–2016

''वैट टैक्स के सन्दर्भ में

आप सभी व्यापारी भाईयों को सूचित किया जाता है कि मंगलवार दिनांक 8–3–2016 को अपमा कार्यालय में वार्ड 18 के वैट अधिकारियों ने अपमा प्रतिनिधिमण्डल के साथ एक बैठक की। इस बैठक में अपमा प्रधान श्री रामदास कुकरेजा जी, महासचिव श्री आर.के. गुप्ता जी, सचिव श्री विनय नारंग जी एवं संयुक्त सचिव श्री उमेश सेठ जी ने भाग लिया।

बैठक में वैट अधिकारियों ने अपमा प्रतिनिधिमण्डल को बताया कि पिछले वष के अपेक्षा इस वर्ष सभी वार्डो से राजस्व कम प्राप्त हुआ है, विशेषकर वार्ड 18 से बहुत ही कम राजस्व प्राप्त हुआ है। वैट अधिकारियों ने निवेदन किया है कि जिन व्यापारी भाईयों ने अपना पिछला बकाया टैक्स जमा नहीं करवाया है वो 15 मार्च तक अपना 'कर' अवश्य जमा करवा द। अन्यथा वैट आयुक्त महोदय जी के सख्त आदेश है कि राजस्व की प्राप्ति के लिए वैट विभाग की टीम 15 मार्च के बाद मार्किट में सर्वे करेगी।

साथियों, वैट विभाग का लक्ष्य पूर्ण नहीं होने पर वैट अधिकारीगण मार्किट का दौरा करने की सम्भवना है। इसलिए विशेषकर वार्ड 18 के व्यापारी भाईयों से निवेदन है कि जल्द से जल्द अपना बकाया टैक्स के साथ मार्च माह का अग्रिम कर (Advance Tax) 15 मार्च तक वैट विभाग में अवश्य जमा करवा दें एवं विभागीय कार्यवाही से बचें।

नोट :– वैट विभाग से प्राप्त वार्ड नं0 18 की सूची अपमा कार्यालय में उपलब्ध है।